रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247757
CG-DL-E-01082023-247757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3291] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945
No. 3291] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

का.आ. 3441(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' (दिल्ली के सिवाए गोवा राज्य और संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए), गुरूग्राम (पैनः-AAAJJ0668D), जो भारत सरकार के द्वारा संस्थापित एक आयोग है, को उस आयोग को उद्‌भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(क) याचिका शुल्क;

(ख) लाइसेंस फीस; और

(ग) लोकपाल व्यय के संबंध में अन्य आय/ और विक्रय पर लाभ/ परिसम्पत्तियों का निपटान; और

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, (दिल्ली के सिवाए गोवा राज्य और संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए), गुरूग्राम -

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा(4ग) के खंड(छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2022-2023 और 2023-24 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा यह क्रमश: वित्त वर्षों 2021-2022 और 2022-23 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 55 /2023 /फा.सं. 300196/6/2021-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक,आईटीए-I

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2023

S.O. 3441(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories except Delhi), Gurugram (PAN: AAAJJ0668D), a commission constituted by the Government of India, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:—

(a) petition fees;

(b) license fees;

(c) other income in respect of reimbursement of Ombudsman expenses / and profit on sale/ disposal of assets; and

(d) interest earned on (a) to (c) above.

2. The provisions of this notification shall be effective subject to the conditions that Joint Electricity Regulatory Commission, (for the State of Goa and Union Territories except Delhi), Gurugram -

(a) shall not .0engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file returns of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2022-23 and 2023-24 relevant for the financial years 2021-2022 and 2022-2023 respectively.

[Notification No. 55 /2023 / F.No.300196/6/2021-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director, ITA-I

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA